

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2063]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938

No. 2063]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

का.आ. 2745 (अ).— स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1966 की धारा 5 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव श्री सी. के. मिश्रा को श्री भानु प्रताप शर्मा के स्थान पर स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है तथा इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में का.आ. 387(अ) दिनांक 6 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र के भाग – II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या वी-17011/2/2014 – एमई- II, दिनांक 6 फरवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:

“ 4. श्री सी. के. मिश्रा,
सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली।”

[फा.सं.वी. 17011/2/2014-आईएनआई.- II]

अली आर. रिजवी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का.आ. 2792(अ) दिनांक 29.10.2014 के तहत भारत के राजपत्र (अ) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2016

S.O.2745(E) .— In exercise of powers conferred by Clause(d) of Section 5, of the Post Graduate Institute of Medical Education and Research Act,1966 the Central Government hereby nominates Sh. C.K. Mishra, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh in place of Shri Bhanu Pratap Sharma and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-17011/2/2014-ME-II dated the 6th February, 2015, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 387 (E) dated 6th February, 2015:-

In the said notification, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

**“4. Shri C.K. Mishra,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi”.**

[F. No. V-17011/2/2014-INI-II]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 2792(E), dated 29.10.2014.